कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांकः 2968 / 14—1 आगरा : दिनांक : फरवरी 05 2024

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, आगरा।

विषय : जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बांईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बांईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–8बी / यू0पी0 / 09 / 94 / 2023 / एफ.सी. / 499 / दिनांक 02.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अद्योहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अतः शर्तों का अनुपालन आप निम्न प्रकार करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय की बचनबद्वता प्रेषित करनी होगी कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगां
2. शर्त सं0–2 के अनुपालन में 0.9024 हे0 गैर वनभूमि मडायना ग्राम समाज तहसील फतेहाबाद में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 18,33,300.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करायें तथा चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।
3. शर्त के अनुपालन में वनभूमि हस्तान्रण से पूर्व गैर वनभूमि प्रयोक्ता द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी।
4. **शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरित कराते हुए उसे आरक्षित / संरक्षित घोषित कराकर उसकी विज्ञिप्त की प्रति संलग्न कर अनुपालन आख्या प्रेषित करें।**
5. प्रयोक्ता द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार **शुद्व वर्तमान मूल्य** (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 8,64,301.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता द्वारा जमा की जायेगी।

7.. प्रयोक्ता द्वारा शर्त सं0–08 से 26 तक की समस्त शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में वचनवद्वता प्रमाण पत्र प्रेषित करनी होगी।

भवदीय

A Kum

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Com-3/Draftman/Letter-20/305